प्रेषिका,

स्नेहा नेगी
अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय
जनपद- मैनपुरी ।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद ।

द्वारा –: माननीय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,जनपद- मैनपुरी ।

विषय–: " नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में स्थानांतरित होने के लिए एक बार के विकल्प के प्रयोग हेतु उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित 28.06.2024 तथा शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/ दस -2024/301(1)/2024 दिनांकित 11.07.2024 के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या-9691/IV-F-82(Pension)/Admin.(A)दिनांक 16.07.2024 के अनुपालन के संबंध में " ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में ससम्मान निवेदन यह है कि मेरी नियुक्ति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में अपर सिविल जज (कनिष्ठ वर्ग) के पद पर दिनांक 13.06.2006 को विज्ञापन संख्या-A-2/E-1/2003 दिनांक 15.11.2003 के आधार पर हुई थी तथा मेरे द्वारा दिनांक 17.06.2006 को जनपद- बदायूं (उत्तर प्रदेश) में अपर सिविल जज (कनिष्ठ वर्ग) के पद पर योगदान किया गया था । क्योंकि उक्त न्यायिक पदों पर भर्ती से संबंधित विज्ञापन, उत्तर प्रदेश सरकार की नई पेंशन योजना से संबंधित अधिसूचना संख्या– सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003, दिनांक 28.03.2005 के जारी होने से पहले जारी हो चुका था, इसलिए मैं शासनादेश के अनुसार पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने की अधिकारी हूँ ।

महोदय आपको यह भी अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा में आने से पूर्व मैं उत्तर प्रदेश सरकार की पुरानी पेंशन युक्त राजकीय सेवा में पंचायत राज विभाग,उ0 प्र0 में दिनांक 20.03.1999 से कार्यरत थी । पूर्व सेवा से दिनांक 15.06.2006 को कार्यमुक्त होकर दिनांक 17.06.2006 को मेरे द्वारा वर्तमान न्यायिक सेवा में योगदान किया गया था। न्यायिक सेवा में आने पर प्रारम्भ में मुझे नई पेंशन योजना से आच्छादित कर दिया गया था । लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या - सा-3-167/दस-2005-301(9)/2003 टी० सी०दिनांक 16.09.2010 के परिप्रेक्ष्य में मुझे पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करते हुए सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या LJU/27140 आवंटित किया गया,जिसमें मेरे वेतन से फरवरी 2013 से अभिदान जमा किया जा रहा है।

अतः आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि पुरानी पेंशन योजना के लिए मेरा विकल्प प्रपत्र (Option Form) स्वीकार करने की कृपा करें। मेरे द्वारा e services Jo portal पर भी विकल्प प्रपत्र (Option Form) अलग से ऑनलाइन प्रेषित किया जा रहा है ।

ससम्मान ।

दिनांक–: 13.09.2024

भवदीया,
[signature] 13.09.2024
(स्नेहा नेगी)
जे० ओ० कोड-UP6326
अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय
मैनपुरी।

संलग्नक :-
विकल्प प्रपत्र (Option Form)विधिवत भरा हुआ।

पत्रांक संख्या CXVII / XV दिनांक 13 सितम्बर-2024

Forwarded [signature] 13-9-24
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय
मैनपुरी

Principal Judge
Family Court
Mainpuri

स्वप्रमाणित ।
[signature]
13.09.2024